धारा 72 : समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी

(1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू–राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिनके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी, राज्य कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी भी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे ऐसी सहायता करने की अपेक्षा कर सकेगी।